सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 487 राँची, मंगलवार, 4 नवंबर, 2025 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

20 मई, 2025

संख्या- 03 माप तौल-02-04/21 – 1307--झारखण्ड राज्य में विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-1227, दिनांक 04,05.2011 द्वारा अधिसूचित एवं विभाग द्वारा अंगीकृत है। उक्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में विधिक माप विज्ञान पदाधिकारियों यथा-संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक तथा निरीक्षक द्वारा किया जाना है, जबकि पूर्व से अंगीकृत Bihar Standards of weights and measure (Enforcement) Rules-1988 के तहत मात्र निरीक्षक द्वारा उक्त कार्य किया जाता है।

2. वर्तमान में विधिक माप विज्ञान प्रभाग के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत पदाधिकारी की स्थिति निम्नवत् हैः-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	नियंत्रक	1	0	1	प्रोन्नति का पद है किन्तु वरीय पदाधिकारी अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में है।
2	संयुक्त नियंत्रक	1	1	0	
3	उप नियंत्रक	3	2	1	मूल कोटि का पद है।
4	सहायक नियंत्रक	7	5	2	
5	निरीक्षक	37	4	33	निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान के रिक्त 28 पदों पर नियुक्ति के निमित्त अधियाचना झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित है।

3. विधिक माप विज्ञान प्रभाग का पिछले वर्षों में राजस्व लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्ति निम्नवत् हैः -

वर्ष	कार्यरत (निरीक्षकों की संख्या)	राजस्व लक्ष्य (करोड़ रू० में)	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रू० में)	प्रतिशत	अभ्युक्ति
2020-21	8	10.66	10.40	97.55	
2021-22	8	16.77	13.57	80.93	
2022-23	7	13.57	13.20	97.29	
2023-24	6	16.77	14.95	89.15	
2024-25	5	22.57	14.95	66.23	

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे मानव बल/कार्यरत बल (निरीक्षक) कम होता गया तद्नुरूप राजस्व लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि कम होता गया, जबकि विधिक माप विज्ञान के कार्य क्षेत्र में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है। राज्य में The Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011 पर अबतक विधिक माप विज्ञान प्रभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे राजस्व एवं उपभोक्ता का अधिकार भी प्रभावित होता रहा है ।

4. सम्प्रति राज्य में विधिक माप विज्ञान, अधिनियम के प्रभावी बनाने, राजस्व लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि एवं कार्यान्वयन में विधिक माप विज्ञान पदाधिकारियों के मध्य कार्य आवंटन किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

5. विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा-14 की उपधारा (3) एवं उपधारा (4) में निम्न तथ्य अंकित हैः-

14 (3) "The Controller and every legal metrology officer, appointed under sub-section (1), shall exercise such powers and discharge such functions in respect of such local limits as the State Government may, by notification, specify."

14 (4) "Every legal metrology officer appointed under sub-section (1) shall exercise and discharge the duties under the general superintendence, direction and control of the Controller."

6. अतः विधिक माप विज्ञान अधिनियम की धारा 14 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के सभी विधिक माप विज्ञान पदाधिकारियों द्वारा कार्य संपादन के निमित्त निम्नवत निदेश अधिसूचित किया जाता हैः-

(i) विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के सभी सुसंगत नियम एवं प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक विधिक माप विज्ञान पदाधिकारी सभी माप एवं तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुहरांकन तथा अन्य विधिक कार्यों का निष्पादन करेंगे ।

(ii) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, झारखण्ड के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण में सभी विधिक माप विज्ञान पदाधिकारी यथा संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक एवं निरीक्षक अपने कत्र्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

(iii) लिखित परिवाद/शिकायत दायर करने के पूर्व सभी विधिक माप विज्ञान पदाधिकारियों द्वारा अभियोग/शमन के प्रस्ताव पर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, झारखण्ड से अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।

(iv) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान के रिक्त पदों पर नियुक्ति होने तक प्रभावी होगी ।

(v) इसके पूर्व निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरविन्द कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 487 - 50